

फर्द अहकाम

कार्यालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) एवं उपखण्ड अधिकारी मावली, उदयपुर

प्रार्थी फंचन विपक्षी मांगीलाल
 किस्म मुकद्दा वाद पत्रावली संख्या 91/23 सन् _____

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
	<p>25/11/25 पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता पक्षकारान उप। उपस्थित अधिवक्तागण द्वारा न्यायिक कार्य का बहिष्कार करने/शोक सभा कर न्यायिक कार्य स्थगित रखने/अधिकारी जी आज अवकाश/भ्रमण/मीटिंग में पधार है। पत्रावली पूर्व आदेश के क्रम में दिनांक <u>23/11/25</u> को पेश हो। B10 2</p>	
	<p>23/11/25 पत्रावली पेश हुई। अधि. वादी उप। अधि. वादी द्वारा वारिस कायम की हेतु तत्परता खाता/अर्जा/पेशी पर आवश्यक रूप से वारिस कायम करावे। पत्रावली वास्तु तत्वों वारिस कायम दिनांक 4/12/25 को पेश हो। B10 2</p>	
	<p>4/12/25 पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता पक्षकारान उप। उपस्थित अधिवक्तागण द्वारा न्यायिक कार्य का बहिष्कार करने/शोक सभा कर न्यायिक कार्य स्थगित रखने/अधिकारी जी आज अवकाश/भ्रमण/मीटिंग में पधार है। पत्रावली पूर्व आदेश के क्रम में दिनांक <u>22/11/25</u> को पेश हो। B10 2</p>	
	<p>22/11/25 पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता पक्षकारान उप। उपस्थित अधिवक्तागण द्वारा न्यायिक कार्य का बहिष्कार करने/शोक सभा कर न्यायिक कार्य स्थगित रखने/अधिकारी जी आज अवकाश/भ्रमण/मीटिंग में पधार है। पत्रावली पूर्व आदेश के क्रम में दिनांक <u>31/10/25</u> को पेश हो। B10 2</p>	
	<p>31/10/25 पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता पक्षकारान उप। उपस्थित अधिवक्तागण द्वारा न्यायिक कार्य का बहिष्कार करने/शोक सभा कर न्यायिक कार्य स्थगित रखने/अधिकारी जी आज अवकाश/भ्रमण/मीटिंग में पधार है। पत्रावली पूर्व आदेश के क्रम में दिनांक <u>21/11/25</u> को पेश हो। B10 2</p>	



21/11/25
वकुलाय वादी/प्रतिवादी उप-तलव/वा. काम/

के लिये मौका चाहते है। अतः अति

अवसर दिया जाकर पत्रावली दि 28/11/25

कोपेश हो।

M
(SDO) मयली

28/11/25

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता वादीगण मय स्वयं

वादीगण अनुपस्थित। अधिवक्ता वादीगण मय स्वयं

वादीगण को बार-बार आवाजे दिलवाई गई।

समय साँच 5:00 PM हो चुके हैं। स्वयं वादीगण

एवं उनके अधिवक्ता अब तक अनुपस्थित हैं।

अतः अधिवक्ता वादीगण मय स्वयं वादीगण

अनुपस्थित रहने पर वादीगण का वाद अदम हजरी

अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। पत्रावली

फैसल शुमार लेकर नम्बर से कम हों।

निर्णय खुले न्यायालय सुनाया गया।



सहायक कलेक्टर
(SDO) मयली